संख्या-466/2021/आई/101607/202/2014/41-2021-74(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर, 2021**

विषयः- जनपद हापुड के गढमुक्तेश्वर में स्थित ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर में पर्यटन विकास के कार्य की योजना में मूल रूप से स्वीकृत कार्यों में प्रस्तावित परिवर्तन के संदर्भ में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1316/6-1-1(1191)/2020-21 दि0-14 जुलाई 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद हापुड के गढमुक्तेश्वर में स्थित ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर में पर्यटन विकास के कार्य की योजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम** द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-275/2020/2352/41-2020-74(बजट)/2020 दिनॉक 23 नवम्बर 2020 द्वारा रू0-904.44 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-181.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी ।

3- तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 के पत्रांक-1316/6-1-1(1191)/2020-21 दि0-14 जुलाई 2021 द्वारा प्रायोजना हेतु मूल रूप में स्वीकृत कार्यों में परिवर्तन किये जाने के दृष्टिगत रू0-904.44 लाख का संशोधित आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया एवं उक्त संशोधित आगणन में अंकित परिवर्तित कार्यों के अनुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त संदर्भ में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी मेरठ के पत्रांक- 1273/रा0यो0/पूंठ गढमुक्तेश्वर/2021 दिनांक 05-07-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि निजी सचिव , मा० उपाध्यक्ष , नीति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2021 को नीति आयोग , नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों (ग्राम पूल , हापुड़ में गंगा नदी के तट पर घाट के निर्माण तथा ग्राम आलमनगर में एक तालाब के विकास / सौन्दर्गीकरण में किसी भी प्रकार के दोहरे कार्य से बचने हेतु निर्णय लिया गया कि दोनों एजेंसियों , राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा पर्यटन विभाग , उ0 प्र0 अपनी - अपनी तकनीकी टीमों के साथ संदर्भित परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिये संयुक्त रूप से निर्माणाधीन स्थलों का दौरा करेंगे) के क्रम में दिनांक 19.01.2021 को गंगा ग्राम पूठ एवं आलमनगर , तहसील गढ़मुक्तेश्वर , जनपद हापुड़ में प्रस्तावित घाट निर्माण तथा तालाब के सौन्दर्गीकरण कार्यों हेतु संयुक्त रूप से दौरा किया गया एवं निजी सचिव , मा० उपाध्यक्ष , नीति आयोग , भारत सरकार के अशा०प०सं० वीसीएच/1/ मि0 / 3880 / 2021 दिनॉक 04.02.2021 द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये है :

(1) गंगा ग्राम पूठ में गंगा जी के तट पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा बनाये जा रहे घाट के निर्माण स्थल पर पर्यटन विभाग , उ0 प्र 0 द्वारा पूर्व में दिये गये अपने प्रस्तुतीकरण में आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत राशि से निम्नांकित कार्य करवाये जायेंगे एवं कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी :
   - पर्यटक सुविधा केन्द्र सह शॉपिंग कॉम्पलैक्स
   - श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था
   - मुख्य तथा आंतरिक सी०सी० मार्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

- इण्टरलॉकिंग टाइल्स रोड
- पानी की निकासी
- साइनेज बोर्ड
- सूचनात्मक बोर्ड
- पत्थर की बैंच
- शिलालेख
- कूड़ेदान
- पेयजल कूलर
- पार्क का विकास / भू समतलीकरण / बागवानी / सुरक्षा रेलिंग
- सोलर लाईट तथा हाईमास्ट लाईट

(2)आलमनगर में तालाब के सौन्दर्थीकरण के निम्नांकित कार्य पर्यटन विभाग , उ० प्र० द्वारा करवाये जायेंगे:-

- आलमनगर तालाब पर शौचालय ब्लाक का निर्माण
- सोलर लाईट तथा हाई मास्ट लाईट
- तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं चारों ओर पैदल मार्ग

3- उक्त के दृष्टिगत प्रायोजना हेतु उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन रू0-904.44 लाख का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से परीक्षण/मूल्यांकन कराये जाने के उपरान्त संशोधित कार्यों की प्रस्तावित लागत रू0-904.44 लाख के सापेक्ष आंकलित लागत रू0-900.00 लाख 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित (परिशिष्ट-01 पर अवलोकनीय) बताई गई है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना हेतु उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन की आंकलित लागत रू0-900.00 लाख **(** जी0एस0टी0 सहित) के क्रम में **प्रायोजना हेतु रू0-900.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-275/2020/2352/41-2020-74(बजट)/2020 दिनॉक 23 नवम्बर 2020 द्वारा अवमुक्त की गई **प्रथम किश्त की धनराशि रू0 181.00 लाख** का उपयोग संदर्भगत शासनादेश में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित सिविल निर्माण कार्या हेतु गठन लोक निर्माण विभाग के एस0ओ0आर0 2020 एवं डी0एस0आर0-2018 के आधार पर किया गया हैए जो दरे इनमें उपलब्ध नहीं है उन हेतु बाजार दरों को एस0ओ0आर0/डी0एस0आर0 के स्केल्टन में प्रयुक्त करते हुये एनालाइज्स दरों के आधार पर किया गया हैफ प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लो0नि0वि0 की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं हैए उन्हें बाजार /कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किया गया हैा बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट/ हाईमास्ट एवं ड्रिकिंग वाटर कूलर आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसे इंडीकेटिव दरें मानकर लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरे प्राप्त करेगी। महानिदेशक पर्यटन द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रभाग द्वारा लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाया जानाए कार्यों के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्रापत किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, हापुड ।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक,सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक ,सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-31 गाजियाबाद।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मेरठ
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।